<u>न्यायालय — पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड,म.प्र.</u> (आप.प्रक.क. :— 349 / 2013)

(संस्थित दिनांक :- 21 / 06 / 13)

म.प्र. राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र :— मालनपुर जिला–भिण्ड., म.प्र.

.....अभियोजन

// विरूद्ध //

- 01. धीर सिंह पुत्र बलराम सिंह सिकरवार उम्र 53 वर्ष
- 02. मोहर सिंह पुत्र बलराम सिंह सिकरवार उम्र 42 वर्ष
- 03. भारत सिंह पुत्र धीर सिंह सिकरवार उम्र 32 वर्ष
- 04. विशाल सिंह पुत्र धीर सिंह सिकरवार उम्र 22 वर्ष निवासीगण :— ग्राम नौनेरा, थाना—मालनपुर, जिला—भिण्ड, (म.प्र.)

.....अभुयक्तगण

<u>// निर्णय//</u>

(आज दिनांक : 15/11/2016 को घोषित)

- 01. अभियुक्तगण धीर सिंह, मोहर सिंह, भारत सिंह एवं विशाल पर भा.द.सं. की धारा 294, 323/34, 324/34 एवं 506 भाग।। के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपीगण ने दिनांक :— 28/04/2013 को शाम लगभग 06:00 बजे फरियादी आशीष के घर के सामने ग्राम नौनेरा में, जो कि लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, पर फरियादी आशीष, उसकी माँ अनीता एवं उसके भाई विजय को माँ—बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया एवं सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी आशीष एवं आहत शिशुपाल की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में अभियुक्त भारत सिंह ने धारदार आयुध लुहांगी लाठी से आशीष के सिर में, आरोपी मोहर सिंह आहत शिशुपाल की लाठी से एवं सहअभियुक्तगण ने फरियादी आशीष की लाठी से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहतियाँ कारित की एवं फरियादी आशीष को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना सारवान निर्विवादित एक तथ्य है।
- 03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :— 28/04/2013 को शाम लगभग 06:00 बजे फरियादी आशीष के घर के सामने ग्राम नौनेरा में, आरोपीगण द्वारा फरियादी आशीष ने उसकी एवं शिशुपाल की लाठियों से मारपीट करने, गाली—गलौच करने एवं जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट

फरियादी आशीष द्वारा उसी दिनांक थाना मालनपुर पर की जाने पर थाना मालनपुर में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 88/13 अन्तर्गत धारा 323, 324, 294 एवं 506 भाग।। सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामे बनाये गये। आरोपीगण से एक—एक लाठी जब्त कर जब्ती पंचनामे बनाये गये। फरियादी आशीष, साक्षी/आहत शिशुपाल, विजय एवं अनीता के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

- 04. अभियुक्तगण धीर सिंह, मोहर सिंह, भारत सिंह एवं विशाल के विरूद्ध धारा 294, 323/34, 324/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपीगण एवं फरियादी/आहतगण के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्तगण को धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।
- 05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उनका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उन्होंने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फॅसाया जाना व्यक्त किया।
- 06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :--
- 01. क्या आरोपी भारत सिंह ने दिनांक :— 28/04/2013 को शाम लगभग 06:00 बजे फरियादी आशीष के घर के सामने ग्राम नौनेरा में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी आशीष की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में अभियुक्त भारत सिंह धारदार आयुध लुहांगी लाठी से आशीष की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहतियाँ कारित की?
 - 02. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

07. फरियादी आशीष सिकरवार अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण धीर सिंह, मोहर सिंह, भारत सिंह एवं विशाल को जानता है, वह उसके गांव नौनेरा के रहने वाले है। साक्षी आगे कहता है कि घटना दिनांक : 28/04/2013 की शाम लगभग 06 बजे की ग्राम नौनेरा स्थित उसके घर के पास लगे हैण्डपम्प के पास की है। आरोपी भारत ने उस समय उसके भाई विजय को चाटा मारा था और उसके बाद आरोपीगण उसके भाई से गाली—गलौच करने लगे तो उसने

आरोपीगण को गाली देने से रोका तो उसके सिर में आरोपी भारत ने लाठी मार दी थी, लाठी लुहांगी थी, जिससे उसका सिर फट गया था और टांके आये थे। साक्षी आगे कहता है कि एक लाठी उसके आरोपी धीर सिंह ने मारी थी, उसे बचाने मामा शिशुपाल आया तो शिशुपाल को मोहर सिंह एवं विशाल ने लाठियों से मारा था, जो उनके बाये हाथ की कोहनी में लगी थी। उसके बाद आरोपीगण मारपीट कर भाग गये थे। साक्षी आगे कहता है कि उसके बाद वह, उसके भाई विजय, मम्मी अनीता एवं मामा शिशुपाल घटना की रिपोर्ट करने थाना मालनपुर गये थे, जहाँ उसके द्वारा की गई रिपोर्ट प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घाटनास्थल का नक्शा—मौका प्र.पी.06 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था।

प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में आशीष अ.सा.02 ने आरोपी अधिवक्ता के 08. इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसे आई चोटें डण्डे के मारने से आई थी और इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने उसकी किसी भी लोहे की वस्तू, धारदार हथियार या घातक हथियार से मारपीट नहीं की थी। प्रति-परीक्षण के पद कमांक 05 में उसने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि किसी भी आरोपी ने उसकी लुहांगी से मारपीट नहीं की थी। उसने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उसने प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.पी.05 एवं उसके पुलिस कथन प्र.डी.01 में लुहांगी लाठी से मारने और उसका सिर फटने की बात का उल्लेख नहीं कराया था, कैसे लिख लिया गया कारण नहीं बता सकता। इस प्रकार आरोपी भारत द्वारा फरियादी आशीष अ.सा.02 के सिर में घातक आयुध लुहांगी से प्रहार कर उसे चोट पहुँचाने के संबंध में आशीष अ.सा.02 के मुख्य परीक्षण कथन एवं प्रति–परीक्षण में उल्लेखित उक्त तथ्यों में गंभीर विरोधाभाष है। आशीष अ. सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.05 के तथ्यों तथा उसके पुलिस कथन प्र.डी.01 के तथ्यों के मध्य भी इस वावत् गंभीर विरोधाभाष है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में आशीष अ.सा.02 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके एवं आरोपीगण के मध्य राजीनामा हो गया है और फरियादी आशीष द्वारा राजीनामा न्यायालय के समक्ष प्रस्तृत भी किया गया हैं।

09. अभियोजन साक्षी डॉ.धीरज गुप्ता अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 28/07/2013 को सीएचसी गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना मालनपुर के आरक्षक क्रमांक 960 देव सिंह द्वारा लाये जाने पर आहत आशीष पुत्र हीरा सिंह, निवासी नौनेरा का मेडीकल परीक्षण कर उसकी बाई तरफ पीठ पर कन्टूजन पाया था, जो कि स्केपुला से 05 से. मी. नीचे था, जिसका आकार 10 गुणा 1.5 से.मी. था, जिसकी संख्या दो में थी। साक्षी आगे कहता है कि कन्टूजन जो कि पीठ में 05 वीं मेटाटार्सल पर था, जिसका आकार 03 गुणा 01 से.मी. था, इसके लिए एक्स-रे की सलाह दी थी, कटा-फटा घाव जो सिर में बाई तरफ पैराइट ऑक्सीपटल रीजन में था, जिसका आकार 03 गुणा 0.5 गुणा

0.5 था। साक्षी आगे कहता है कि आहत को आई चोटें किसी कठोर एवं भौथुरी वस्त् से उसके परीक्षण के 06 घण्टे के भीतर आना प्रतीत होती थी। इस वावत उसके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा उसी दिनांक को उसी आरक्षक द्वारा आहत शिशुपाल पुत्र ओमप्रकाश का परीक्षण करने पर कन्टूजन उसकी बाई कोहनी पर आगे की ओर दो से.मी. हाथ में था, जिसके एक्स–रे की सलाह दी थी। साक्षी आगे कहता है कि आहत को आई चोट किसी कठोर एवं भौथुरी वस्तू से उसके परीक्षण के 06 घण्टे के भीतर आना प्रतीत होती थी, जिनकी प्रकृति साधारण थी। इस वावत् उसके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी आगे कहता है कि दिनांक : 29 / 04 / 2013 को आहत शिशुपाल एवं आशीष के एक्स-रे में कोई अस्थिभंग होना नहीं पाया था। इस वावत् उसके द्वारा तैयार की गई एक्स-रे परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.03 एवं प्र.पी.04 है, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रति–परीक्षण के पद क्रमांक 04 में डॉ.धीरज गृप्ता अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आहतगण की मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी.01 एवं प्र.पी.02 तथा उनकी एक्स-रे परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.03 एवं प्र.पी.04 में उल्लेखित चोटें किसी धारदार हथियार से आना प्रतीत नहीं होती है। मुख्य परीक्षण में आहत आशीष अ.सा.02 का कहना है कि उसे लुहांगी लाठी से सिर में चीट कारित हुई थी, जबकि डॉ.धीरज गुप्ता अ.सा.०१ ने उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य दर्शित नहीं हैं, कि आहत आशीष को लुहांगी लाठी या किसी अन्य धारदार आयुध से सिर में कोई चोट कारित हुई थी। इस प्रकार उक्त तथ्यों के संबंध में आशीष अ.सा.०२ एवं डॉ.धीरज गुप्ता अ.सा.०१ के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य विरोधाभाष है। डॉ.धीरज गृप्ता अ.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य उसके द्वारा किये गये चिकित्सीय परीक्षण के संबंध में प्रति-परीक्षण उपरांत भी पूर्णतः अखण्डित रहा है। डॉ.धीरज गुप्ता अ.सा.०१ के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पृष्टि उसके द्वारा दी गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.01 एवं प्र.पी.02 एवं एक्स-रे रिपोर्ट प्र.पी.03 एवं प्र. पी.04 के तथ्यों से भी हो रही है।

- 10. आहत शिशुपाल अ.सा.03, विजय अ.सा.04 एवं अनीता अ.सा.05 ने भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी आरोपी भारत सिंह द्वारा दिनांक :— 28/04/2013 को शाम लगभग 06:00 बजे फरियादी आशीष के घर के सामने ग्राम नौनेरा में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी आशीष की धारदार आयुध लुहांगी लाठी से आशीष की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहतियाँ कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।
- 11. आरोपीगण एवं फरियादी / आहत आशीष, शिशुपाल, विजय एवं अनीता के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख पर है और आहतगण शिशुपाल अ.सा.03, विजय अ.सा.04 एवं अनीता अ.सा.05 के न्यायायलीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।

- 12. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी भारत सिंह ने दिनांक :— 28/04/2013 को शाम लगभग 06:00 बजे फरियादी आशीष के घर के सामने ग्राम नौनेरा में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी आशीष की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में अभियुक्त भारत सिंह धारदार आयुध लुहांगी लाठी से आशीष की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहतियाँ कारित की हो। आरोपीगण द्वारा की गई मारपीट धारा 323 भा.द.सं. में उल्लेखित मारपीट की कोटि में आना प्रकट होता है, जिसके संबंध में फरियादी/आहतगण एवं आरोपीगण के मध्य राजीनामा हो चुका है।
- 13. अभियोजन आरोपीगण धीर सिंह, मोहर सिंह, भारत सिंह एवं विशाल के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा 324/34 का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भा.द.सं. की धारा 324/34 के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।
- 14. अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।
- 15. प्रकरण में आरोपीगण से जब्तशुदा लाठियाँ मूल्यहीन होने से अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात् नष्टकर व्ययनित किया जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद